भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3708

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

†3708. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 14,500 विद्यालयों के लक्षित लक्ष्य के प्रतिशत के संदर्भ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ख) पूरी हो चुकी परियोजनाओं में ग्रीन विद्यालय घटक के कार्यान्वयन में मिली सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र की कौशल-परिषदों की भागीदारी और विद्यालयों की गुणवत्ता का आकलन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों और ट्रांसजेंडर बच्चों की आवश्यकताओं सहित समावेशी शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिक सहायता, यौन-शिक्षा और आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जैसे आंतरिक शिकायत समिति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तता निवारण समितियां, आदि सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): देश में वांछित लक्ष्य के प्रतिशत के संदर्भ में पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): पीएम श्री योजना का उद्देश्य सौर पैनलों और एलईडी लाइटिंग का उपयोग करके ऊर्जा कुशल, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त, जल संरक्षण और संचयन, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित परंपराओं / प्रथाओं का अध्ययन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैकथॉन और जैविक जीवन शैली को शामिल करने के लिए जागरूकता पैदा करने जैसे पर्यावरण अनुकूल पहलुओं को शामिल करके पीएम श्री स्कूलों को हरित स्कूलों के रूप में विकसित करना है। इन कार्यकलापों का उद्देश्य देश भर के स्कूलों में एक दीर्घकालिक और पर्यावरण-अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना है।

(ग): पीएम श्री योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करती है जिसका उद्देश्य सभी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना है। पीएम श्री योजना में औजारों और उपकरणों, कच्चे माल की खरीद, व्यावसायिक प्रशिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, छात्रों को परामर्श देने के लिए

जागरूकता कार्यक्रम, छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना और व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रावधान है।

इसके अलावा, पीएम श्री स्कूल छात्रों को स्थानीय उद्योगों, खुदरा विक्रेताओं, कारीगरों और अनौपचारिक उद्यमों के साथ इंटर्नशिप और अल्पकालिक नौकरियों के अवसर प्रदान करने का इरादा रखते हैं। ये इंटर्नशिप छात्रों को कार्य की दुनिया से परिचित कराती हैं और शिक्षा और उद्योग की मांगों के बीच के अंतराल को कम करने में मदद करती हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुसार एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा (एसक्यूएएफ) विकसित किया गया है, जो प्रत्येक पीएम श्री स्कूल द्वारा हासिल की जाने वाली दक्षता के स्तर को दर्शाता है। एसक्यूएएफ को पीएम श्री योजना के छह स्तंभों के आधार पर छह मुख्य डोमेन में विभाजित किया गया है, जो एनईपी 2020 के अनुरूप है:पाठ्यक्रम, शिक्षणशास्त्र और मूल्यांकन; पहुंच और बुनियादी ढांचा; मानव संसाधन और स्कूल नेतृत्व; समावेशी प्रथाएं और लैंगिक समानता; प्रबंधन, निगरानी और शासन और लाभार्थी संतुष्टि।

(घ): समावेशी शिक्षा के लिए, पीएम श्री योजना का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) और सभी जेंडरों के बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। आरामदायक और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सुलभ शौचालय, स्वच्छ पेयजल सहित पर्याप्त और सुरक्षित बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित किया जाता है।

विशेष पहलों में ब्रेल लेखन सामग्री, जिसमें उभरे हुए चार्ट और ग्लोब शामिल हैं, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पाठक भत्ता, लेखक सुविधाएं और विशेष शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा तक पहुंच बनाने में छात्राओं की सहायता के लिए एस्कॉर्ट भत्ता, परिवहन भत्ता और लड़कियों के लिए वजीफा भी शामिल किया गया है। चिकित्सा मूल्यांकन शिविरों के माध्यम से पहचान और मूल्यांकन, साथ ही सहायक उपकरणों का प्रावधान, यह सुनिश्चित करने के लिए अभिन्न अंग हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यक सहायता प्राप्त हो। जो बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए घर पर ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ): पीएम श्री योजना में करियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण का समाधान करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान है। पीएम श्री स्कूल एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो मनोवैज्ञानिक-सामाजिक कल्याण सहित छात्र कल्याण को बढ़ावा देता है। नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य कार्ड जारी करने से छात्रों की शारीरिक भलाई की निगरानी की जाती है। इसके अलावा, पीएम श्री स्कूलों का उद्देश्य जुड़ाव और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए छात्र-केंद्रित पहलों को लागू करना है।

एनईपी 2020 के आधार पर, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 (एनसीएफ एसई-2023) शारीरिक विकास में क्रमिक और अचानक परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। छात्रों की संख्या में परिवर्तन और बढ़ी हुई व्यस्तता के साथ विकास की पीड़ा और तेजी से होने वाले विकास से निपटने के लिए शिक्षकों को तैयार करना, लिंग और कामुकता की अच्छी समझ प्रदान करता है और शिक्षकों को अपने छात्रों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करता है।

शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र जैसे आंतरिक शिकायत समिति, एससी/एसटी/ओबीसी/विकलांगता शिकायत समितियां आदि का निर्धारण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किया जाता है।

*****

अनुलग्नक-I

'पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन की स्थिति' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 24.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3708 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वांछित लक्ष्य के प्रतिशत के संदर्भ में पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अनुमोदित किये जाने वाले स्कूलों की लक्षित संख्या	अनुमोदित
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11	100
2	आंध्र प्रदेश	855	100
3	अरुणाचल प्रदेश	161	57
4	असम	382	100
5	बिहार	836	100
6	चंडीगढ़	2	100
7	छत्तीसगढ़	341	100
8	डीएनएच और डीडी	6	100
9	दिल्ली	6	100
10	गोवा	28	100
11	गुजरात	448	100
12	हिमाचल प्रदेश	180	100
13	हरियाणा	250	100
14	जम्मू और कश्मीर	396	100
15	झारखंड	345	100
16	कर्नाटक	590	99
17	लद्दाख	36	100
18	लक्षद्वीप	11	100
19	मध्य प्रदेश	787	100
20	महाराष्ट्र	827	100
21	मणिपुर	105	100
22	मेघालय	63	100
23	मिजोरम	53	66
24	नगालैंड	122	40
25	ओडिशा	462	100
26	पुदुचेरी	12	100
27	पंजाब	347	100
28	राजस्थान	639	100
29	सिक्किम	43	100
30	तेलंगाना	794	100
31	त्रिपुरा	84	100
32	उत्तराखंड	226	100
33	उत्तर प्रदेश	1713	100

नोट- केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया है.

*****